न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 44/2021 अपील

1. भैरूलाल पिता सुखा गुर्जर निवासी – कुचलवाड़ा कलां तहसील जहाजपुर
2. शिवराज पिता सुखा गुर्जर निवासी – कुचलवाड़ा कलां तहसील जहाजपुर
3. धर्मराज पिता भंवरलाल गुर्जर निवासी – कुचलवाड़ा कलां तहसील जहाजपुर
4. रामराज पिता भंवरलाल गुर्जर निवासी– कुचलवाड़ा कलां तहसील जहाजपुर

बनाम

1. गौरीशंकर पिता सुवालाल खटीक निवासी– कुचलवाड़ा कलां तहसील जहाजपुर
2. अम्बिका प्रसाद पिता सुवालाल खटीक निवासी – कुचलवाड़ा कलां तहसील जहाजपुर
3. अचरज देवी पत्नि सुवालाल खटीक निवासी – कुचलवाड़ा कलां तहसील जहाजपुर
4. दुर्गालाल पिता जमनालाल खटीक निवासी– कुचलवाड़ा कलां तहसील जहाजपुर
5. ललिता पत्नि ताराचन्द खटीक निवासी कुचलवाड़ा कलां तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।

–अपीलार्थी

– विपक्षीगण

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या 04/2021 बअनवान गौरीशंकर व अन्य बनाम भैरूलाल व अन्य निर्णय दिनांक 31.08.2021 अपील अन्तर्गत 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

उपस्थित –

1. श्री सत्यनारायण सोमानी अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता – विपक्षीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.11.2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के हक एवं आधिपत्य के खातेदारी की ग्राम कुचलवाड़ा कलां पटवार हल्का ऊंचा मे आराजी संख्या 127, 128 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके बाबत प्रार्थीगण ने पत्थरगढी करवाई जिसमें आराजी संख्या 127, 128 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा में से 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर अपीलान्टगण का कब्जा पाया गया, उक्त 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि से अपीलान्टगण को बेदखल करने बाबत प्रस्तुत किया जिसका जवाब अपीलान्टगण की और से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त कब्जेशुदा भूभाग जिसकी बेदखली बाबत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है उस पर कभी भी रेस्पोडेन्टगण व उसके पूर्वजों का कब्जा नहीं रहा है, लगभग 80 वर्षो से

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

अर्थात् काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही उक्त 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर अपीलान्टगण एवं उनके पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है, साथ ही अपीलान्टगण ने अपने जवाब में यह भी उल्लेख किया है कि वादग्रस्त 2 बीघा 7 बिस्वा वाला भूभाग पूर्व मे बिलानाम था तथा लगभग 80 वर्षों से अपीलान्टगण एवं उसने पूर्वजो का चला आ रहा है तथा अपीलान्टगण द्वारा तारबन्दी की हुई है एवं अपीलान्टगण द्वारा काश्त की जा रही है। उक्त जवाब के तथ्यों की रोशनी में रेस्पोडेन्टगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) किसी प्रकार साबित नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने का जो आदेश पारित किया वह विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। अपीलान्टगण द्वारा अपने जवाब में 80 वर्षो से कब्जा होने का कथन किया जिसका कोई जवाब रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जब काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से अपीलान्टगण एवं उनके पूर्वजों का कब्जा था ऐसी स्थिति में काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है, उक्त विधिक स्थिति को नहीं समझ जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में बिलानाम दर्ज थी जो किस प्रकार से रेस्पोडेन्टगण के नाम दर्ज हुई ऐसा रेस्पोडेन्टगण साबित नही कर पाये उसके आधार पर भी निर्णय जैर बहस अपास्त होने योग्य है। अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया, न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान किया आनन–फानन में छोटी छोटी पेशियां दी जाकर निर्णय पारित किया जिस कारण निर्णय जैर बहस अपास्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे, विकल्प मे निवेदन है कि अपीलान्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित फरमाई जावें।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की गयी। रेस्पोडेण्टगण की ओर से पूर्व में केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। केवियट प्रार्थना पत्र की सूचना अपीलाण्टगण अधिवक्ता को दी गयी। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की स्थगन प्रार्थना पत्र एवं मूल अपील प्रकरण पर बहस सुनी गयी।

अपीलाण्टगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस एवं लिखित बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट संख्या 3 व 4 के विरूद्ध जो एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिनांक 06.08.2021 को पारित किया है वह भी विधि विरूद्ध हैं, क्योंकि अपीलान्ट संख्या 3 एवं 4 की कोई विधिवत् तामिल नहीं हुई हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो सम्मन अपीलार्थी संख्या 3 व 4 की तामील बाबत् सलंग्न है, उसमें तारीख पेशी मे कांट छांट है तथा दिनांक 03.08.2021, 10.08.2021, 16.08.2021 की दर्शित होती है, ऐसी स्थिति में दिनांक 06.08.2021 को एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित करना किसी प्रकार न्याय संगत नही है तथ उक्त सम्मन पर जो तामील कुलिन्दा की जो रिर्पोट भी न्याय संगत नहीं हैं। किस तामील कुलिन्दा द्वारा तामील कराई गई तथा किस दिनांक को तामील करवाई यह भी अंकित नही है साथ ही सम्मन की रिपोर्ट में मनमकसूद तरीके से मिलाभगती कर लेने से इंकार

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

का इंद्राज करवाया है तथा न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये हैं जबकि कानूनन आदेश 5 नियम 17 सी पी सी के अनुसार जब प्रतिवादी / विपक्षी तामील लेने से इंकार करता है तो तामील करवाने वाले अधिकारी का यह दायित्व है कि सम्मन की प्रतिलिपी प्रतिवादी / विपक्षी के निवास स्थान पर चस्पा करेगा, लेकिन आदेश 5 नियम 17 सी पी सी के प्रावधानों की कोई पालना नही की गई। इस कारण अपीलान्ट संख्या 3 व 4 को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिल पाया तथा अपीलान्ट संख्या 3 व 4 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख पाये, इस कारण माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रक्रिया पूरी तरह दूषित है तथा न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है इस बाबत न्यायिक दृष्टांत 1. आदेश 5 नियम 17 सी पी सी के प्रावधान, 2. सिविल टाईम्स राज. 2003 वोल्युम 2 पेज 993, 3. आर आर डी 2014 पेज 404, 4. डीएनजे 2019 (1) राज. पेज 74 प्रस्तुत हैं। रेस्पोडेन्टगण ने अपने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर. टी. एक्ट में पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 05.07.2021 का वर्णन किया है लेकिन इसकी प्रमाणित प्रतिलिपी पत्रावली में पेश नहीं की है। साथ ही रेस्पोडेन्टगण ने आराजी संख्या 127 एवं 128 कुल रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा में से 2 बीघा 7 बिस्वा पर अपीलान्टगण का कब्जा होना बताया है, लेकिन कौन सी आराजी में से कितने रकबे पर तथा किस दिशा के रकबे पर अपीलान्टगण का कब्जा है ऐसा अपने प्रार्थनापत्र मे कही वर्णित नहीं किया है ऐसी स्थिति में प्रथमतया प्रार्थनापत्र को साबित करने का भार रेस्पोडेन्टगण पर है लेकिन उनके द्वारा अपने अभिवचनो से किसी प्रकार प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर टी एक्ट साबित नहीं किया है। इस कारण माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त होने योग्य है। मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 19.08.2021 में सीता देवी पत्नी रंगलाल गुर्जर द्वारा कब्जा किया जाना वर्णित हुआ है तथा इस तथ्य की जानकारी रेस्पोडेन्टगण एवं न्यायालय को निर्णय पारित करने से पूर्व हो गई। इसके पश्चात भी न तो सीतादेवी पत्नी रंगलाल गुर्जर को पक्षकार संयोजित किया है न ही न्यायालय ने अपने निर्णय मे सीता देवी पत्नी रंगलाल गुर्जर के बाबत कोई निर्णय ही पारित किया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पारदर्शी निर्णय की परिधी में नहीं आने से निर्णय जैर बहस अपास्त होने योग्य है। अपीलान्टगण द्वारा अपने जवाब में 15 वर्षो से भी अधिक समय पर आराजी पर तारबन्दी किया जाना एवं 80 वर्षा से अपने पूर्वजों के समय से कब्जा होना वर्णित किया है जिसका कोई खण्डन तहसीलदार की और से प्रस्तुत नही किया गया ऐसी स्थिति में कानूनन कब्जेयाबी अनुतोष बाबत मियाद, मियाद अधिनियम मे 12 वर्ष निर्धारित है, रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रार्थनापत्र स्पष्टतया मियाद बाहर प्रस्तुत किया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मियाद के बाबत कोई विवेचन नही कर जो निर्णय पारित किया है वह न्याय संगत नही होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया एवं त्वरित गति से बिना सुनवाई का अवसर दिये ही निर्णय पारित किया है इस कारण निर्णय जैर बहस अपास्त होने योग्य है। निवेदन है कि अपील अपीलान्टगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे, विकल्प मे निवेदन है कि अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमाया जावे।

विपक्षीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस एवं लिखित बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण सं. 4/2021 में जो निर्णय दिनांक 31–08–2021 को हम प्रार्थीगण (प्रत्यर्थीगण) के पक्ष में पारित किया है वह पूर्ण रूप से सही है, जिसे इस अपील में कायम रखाया जाना आवश्यक है और अपीलार्थी विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सर्वथा निराधार होने से निरस्त कराया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में हम प्रार्थीगण गौरीशंकर खटीक वगैरह ने धारा 183 (बी) रा.टि.एक्ट के तहत एक प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम कुचलवाड़ा कलां पटवार हल्का ऊंचा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 127 व 128 कुल रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि हम प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजियात की पत्थरगढ़ी करने के लिये उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के आदेशानुसार दिनांक 05–07–2021 को मौके पर पत्थरगढ़ी संबंधित अधिकारियों द्वारा की गयी थी, जिसका पर्चा मौका मुर्तिब किया गया था। पर्चे मौके के अनुसार प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी किता 2 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा में से 2 बीघा 7 बिस्वा पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के अप्रार्थीगण ने कब्जा कर लिया जिसे वापस छोड़ने हेतु अनुसूचित जाति के प्रार्थीगण ने स्वर्ण जाति के उक्त विपक्षीगण को कहा तो वे गाली गलौच व मारपीट करने पर उतारू हुए। अनुसूचित जाति के प्रार्थीगण की कृषि आराजियात के उक्त वर्णित रकबे पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर रखा है जिसके संबंध में हमने तहसीलदार जहाजपुर को दिनांक 16–07–2021 को प्रार्थनापत्र भी दिया था, जिस पर दिनांक 19–07–2021 को पटवारी हल्का ऊंचा द्वारा जांच रिपोर्ट उनके यहां पेश की गयी थी। उक्त प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण ने यह अनुतोष चाहा था कि हम अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी अधिकार की कृषि आराजियात पर अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाकर उन्हें बेदखल करने का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 20–07–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 23–07–2021 की पेशी पर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता कैलाश बिड़ला, अमित बिड़ला का अधिकार पत्र पेश हुआ और अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नोटिस अदम तामील आने पर नोटिस पुनः जारी करने का आदेश दिया गया। दिनांक 06–08–2021 की पेशी पर अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए किन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिससे उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने का आदेश दिया गया। दिनांक 31–08–2021 की पेशी पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और बाद बहस प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की कृषि आराजी में रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा से अप्रार्थीगण को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपने जवाब में लगभग 80 वर्षों से उक्त 2 बीघा 7 बिस्वा रकबे पर अपना कब्जा होने का उल्लेख किया है किन्तु उन्होंने इसके संबंध में किसी तरह की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और यह भी नहीं बताया है कि उनको इस अतिक्रमित रकबे पर किस प्रकार कब्जा रखने का विधिपूर्ण अधिकार है । ऐसे

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विधिपूर्ण अधिकार के कब्जा रखने की साक्ष्य के अभाव में अप्रार्थीगण का कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है जो वे अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि पर रखने के किसी प्रकार से अधिकारी नहीं है। न्यायालय से निवेदन किये जाने पर अतिक्रमित भूमि का पुनः मौका देखने का आदेश दिया व संबंधित अधिकारी से मौका पर्चा भी न्यायालय में प्रस्तुत हुआ । इस प्रकार दो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। और दोनों में यह पाया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण का अवैध रूप से 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण है। एडवर्स पजेशन के आधार पर अप्रार्थीगण ने कभी भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का सक्षम न्यायालय में अब तक कोई दावा पेश नहीं किया है और न ही उनको अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 42 बी इस बारे में प्रतिबंधित करती है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि का किसी भी प्रकार से विक्रय, दान आदि से स्वर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष में किया गया अंतरण शून्य होता है और ऐसे किसी भी हस्तान्तरण के आधार पर किये गये कब्जे को भी अवैध माना जाता है और जिसकी बेदखली धारा 183 बी रा.टि.ए. के तहत की गयी संक्षिप्त कार्यवाही में की जा सकती है इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत है : –

2009 (1) RRT 576 & Govind Singh V/s Hanuman

धारा 183 बी रा.टि.ए. में संक्षिप्त कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है अर्थात् नियमित वाद की सुनवायी में जो प्रक्रिया अपनायी जाती है उसको संक्षिप्त कार्यवाही में किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब की पुष्टि में उक्त अतिक्रमित रकबे पर उनका किसी प्रकार से टाइटल होने का कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। धारा 183 बी की कार्यवाही में की जाने वाली प्रक्रिया संक्षिप्त होती है, इसके बारे में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत हैः– 1996 RBJ45 - Moti V/s Dev Kishan, 1999 RBJ 161 - Jagnnath V/s Heera

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर से सवर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा किये गये अतिक्रमण को धारा 183 बी रा.टि.ए. के तहत त्वरित कार्यवाही कर बेदखल करने का आदेश पारित करना न्यायोचित होता है इस बारे में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत हैं:– 2005 (1) RRT 405 - Kailash V/s Ramkhilari , 2005 (1)RRT 611- Ugam Singh V/s Dularam

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी इस अधिनियम की धारा 185 पर Overriding Effect रखती है जिसमें इजराय प्रार्थनापत्र पेश करने की भी कोई आवश्यकता नहीं मानी जाती है । इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत है :

2017 RBJ 98 & Badri Ram V/s BOR Raj.

उक्त अतिक्रमित रकबे की भूमि प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक से कई वर्षों से चली आ रही है इसके बारे में अप्रार्थीगण को किसी तरह का आक्षेप करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि अपनी खातेदारी में होने बाबत् सबूत पेश किया है व दोनों मौका पर्चा रिपोर्ट भी साबित करती है कि आराजी नं. 127 व 128 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। अप्रार्थीगण को उक्त आराजी नं. 127 व 128 के किसी भी भाग पर अतिक्रमण करने और

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अवैध कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं है और न वे किसी पुष्ट दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित कर पाये हैं कि उनका उक्त रकबे पर कब्जा रखने का कोई विधिपूर्ण अधिकार हो और न ही उनके पास इस भूमि के खातेदारी अधिकार बाबत कोई टाइटल है। ऐसी परिस्थिति में अप्रार्थीगण का उक्त वर्णित रकबे पर Rank Trespasser की हैसियत से जो कब्जा है उसे वे रखने के किसी भी तरह से अधिकारी नही है जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने उनको उक्त भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया है वह न्यायोचित है। प्रार्थना है कि अपीलार्थीगण (अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण) द्वारा प्रस्तुत यह अपील सरासर सारहीन होने से सव्यय निरस्त करायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विपक्षी धर्मराज व रामराज के तलबी नोटिस प्रोपर तामील नही होना स्पष्ट होता है एवं तलबी नोटिस पर कांटछांट भी स्पष्ट इंगित होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौका पर्चा दिनांक 19.08.2021 अनुसार ग्राम कुचलवाडा कलां के वर्तमान खसरा नम्बर 127 व 128 के रकबा लगभग 2.07 बीघा भू भाग पर अन्य कब्जेधारियों के साथ, सीता पत्नी रंगलाल गुर्जर को भी कब्जेधारी अंकन किया हुआ हैं, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने प्रकरण व निर्णय में सीता पत्नी रंगलाल गुर्जर को न तो पक्षकार बनाया हैं एवं न ही अतिक्रमित घोषित किया हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 04/2021 निर्णय दिनांक 31.08.2021 को अपास्त किया जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाना न्यायोचित है कि प्रकरण में उभयपक्षों की पूर्ण सुनवायी की जाकर एवं समस्त दस्तावेजात व तथ्यों का परीक्षण कर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 04/2021 निर्णय दिनांक 31.08.2021 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में उभयपक्षों की पूर्ण सुनवायी की जाकर एवं समस्त दस्तावेजात व तथ्यों का पूर्ण परीक्षण कर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड तहसीलदार जहाजपुर को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा